उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग

संख्या-08/56/58-2-2014-900(8)/2013

लखनऊ :दिनांक:: 22 जनवरी, 2014

<u>शुद्धि-पत्र</u>

शासनादेश संख्या-01/1070/58-2-2013-900(8)/2013, दिनांक-08.01.2014, संख्या-02/1071/58-2-2013-900(9)/2013, दिनांक-08.01.2014, संख्या-03/1069/58-2-2013-900(10)/2013, दिनांक-08.01.2014, संख्या-04/1068/58-2-2013-900(11)/2013, दिनांक-08.01.2014, संख्या-05/1083/58-2-2013-900(12)/2013, दिनांक-08.01.2014, संख्या-06/1084/58-2-2013-900(13)/2013, दिनांक-08.01.2014, एवं संख्या-07/1085/58-2-2013-900(14)/2013, दिनांक-08.01.2014 के प्रस्तर-3 की पांचवी पंक्ति में रू0-1,6000 हजार के स्थान पर त्रुटिवश रू0-1,600 हजार अंकित हो गया है। उक्तानुसार रू0-1,600 हजार के स्थान पर रू0-1,6000 हजार संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2; उपरोक्त शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा/समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

शरद कुमार सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-08 /56/(1)/58-2-2014, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(3) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) मुख्य वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) मै0 बी0डी0 एग्रीकेयर प्रा0लि0, विलेज गौउखोर पोस्ट पुरसिया, बस्ती-272002
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in